


Jonsun Kujur



15/11/17 33/22  
20.9.2017

Handwritten text in Odia script, partially obscured by a stamp.

23 I A With the Permissions  
by L.R.D.C. Sindiga  
Vide case no 314/2016-17  
order dated  
10-8-17

Signature of Jonsun Kujur

विक्रय पत्र

लेख्यकारी:- श्री जोनसन कुजूर पिता स्व० निर्मल कुजूर  
जाति- उराँव, पेशा- खेतीवारी, निवास ग्राम- घोचोटोली  
सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।  
आधार कार्ड संख्या 8876 4147 4731

बिफ्रेता ।

अपध-पत्र संख्या:- 355/2017  
नोटिडिंग नं० 0160000004000 रम.०

फॉर्म 60  
अचल द्वारा प्रकृत प्रतीवर्धित  
की सूची में इस पहाका  
खाला संख्या गरी है।  
22/9/17

Handwritten notes in Odia script, including '20/9/17' and other illegible text.

गुनाथ लखन  
ग्राम- घोचोली

दि- 20.9.2017

§2§ लेख्यधारिणी:- माणसित कुल्लु पति श्री विमल कुल्लु  
जाति- छडिया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- बुधराटोली  
सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।  
आधार कार्ड संख्या 2890 3869 3132

.. भारतीय नागरिक.. क्रेतिका ।

समर्थ-पत्र संख्या:- 356/2017

फॉर्म 60

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वेला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग छः लाख एकावन हजार रुपये अंके 6,51,000/-  
रुपये होता है ।

§5§ सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा घोचोटोली,  
वार्ड नं० 18, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री  
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 107 एक सौ सात  
फॉट नं० 2079 दो हजार असी एकवा 2.23 एकड़ में से  
0.12 एकड़ बरह डिसमिल आवासीय जमीन; जिसपर किसी  
प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी फॉट का आ दूसरा भाग टांड,

दक्षिण:- इसी फॉट में छोड़ा गया रास्ता कच्चा 8 फीट,

पूरब :- इसी फॉट का आ टांड,

पश्चिम:- भूषण लकड़ा का टांड ।

माणगुजारी 5 पैसा पाँच पैसा अलावे रस सजाना ।

5/12/17 का QR  
20.9.2017

नाम - नाम- फानुरन  
पिता- स्व. जोहन  
ग्राम - सोलडेगा  
थाना - सिमडेगा  
जिला - सिमडेगा  
ता. - 20.9.2017

§ 18. चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर धरेलू खर्च के लिए रुपये की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगेर सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया।

§ 28. इसलिये मैं अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा।

§ 38. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है। खतियान में मेरे पिता निरमल उराँव एवं बड़े पिता नांगु उराँव वी के नाम से नाप दर्ज है। मालगुजारी रसीद मेरे पिता निरमल उराँव एवं बड़े पिता नांगु उराँव के नाम से कटता है जो पंजी II के मोल्धुन संख्या 1, पृष्ठ संख्या 158 में दर्ज है। मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक ब्यादी वंशधारा हो चुका है। जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमान है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कब्जा है और किसी प्रकार का वाद वा झगड़ा झंझट नहीं है। खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है एवं लगान पानेवाले का नाम मैजिस्टर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानिव टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है।

5/1/2017  
20.9.2017

§ 48 चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद-पिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में डोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन किया। जिसका बाद संख्या 314/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 6508/11 दिनांक 10.08.2017 है।

§ 58 अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंबल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय गानगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§ 68 इसलिये यह विषय पत्र केवाला पैला कलामी सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया कि प्रमाण रहे वो वकत जरूरत पर काम आवे।

उक्त विक्री की जानेवाली जमीन भू-हक्कंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, सीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजहूआ के तहत नहीं है।

3/12/17  
20.9.2017

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो  
बचत जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

जो 121 नं. 2  
20.9.2017



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी जोरधर डुबू  
ने अपने बाएँ हाथ की पंचों अंगुलियों का छाप  
पेपर ऊपर दिया।

Anup Kumar Toppo  
Advocate  
20.9.2017

जो 121 नं. 2  
20.9.2017

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो  
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिविलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।



लालमिता कुल्लु  
20.9.2017

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी  
लालमिता कुल्लु ने अपने बाएँ हाथ की  
पंचों अंगुलियों का छाप पेपर ऊपर दिया।

Anup Kumar Toppo  
Advocate  
20.9.2017

